छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
दूरभाष : 0771 – 2437309, 2422425, फैक्स : 0771 – 2429385

क्रमांक/ 4006 /वि.प्र./2022–23 रायपुर दिनांक 02/05/2022

प्रवेश संबंधी नियम एवं निर्देश

शैक्षणिक सत्र 2022–2023 हेतु **स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रवेश के संबंध में** संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक/स्वा0आ0अं0मा0/2022–23/502 नवा रायपुर दिनांक 31.03.2022. (परिशिष्ट "अ" पर संलग्न) के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया संबंधी कार्यवाही की जावे।

प्रवेश

मण्डल की समस्त मान्यता प्राप्त शालाओं में प्रवेश दिनांक 15 जून 2022 से प्रारंभ होगा, अतएव प्रवेश संबंधी नियम एवं निर्देश निम्नानुसार हैं :–

कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रवेश की अंतिम तिथि 30.07.2022 तक निर्धारित की गई है। इस तिथि तक समस्त औपचारिकताएं अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाय। कृपया इस बात से अवगत हो कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस बात पर आपत्ति दर्ज की गई है कि कुछ संस्थाओं द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना ही छात्रों को प्रवेश दे दिया जाता है अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त औपचारिकताएं अनिवार्य रूप से पूर्ण करने के पश्चात् ही नवीन प्रवेश दिया जायें।

मण्डल सचिव की अनुमति से दिनांक 16.08.2022 तक प्रवेश दिया जा सकेगा। इसके पश्चात् किसी प्रकार के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी के परीक्षा परिणाम के पश्चात् जो छात्र उत्तीर्ण होंगे वे अगली कक्षा में नियमित प्रवेश हेतु पात्र होगें।

उपरोक्त के अतिरिक्त हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी परीक्षा परिणामों के घोषणा के पश्चात् परिणाम घोषित दिनांक से 10 दिवस की समय–सीमा में प्रवेश दिया जा सकेगा उनके लिये उपरोक्त तिथियाँ प्रभावशील नहीं रहेगी।

(1) स्थानांतरण प्रकरण–

शासकीय सेवक (राज्य एवं केन्द्र) के स्थानांतरण की स्थिति में उनके पाल्यों को हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी में सीधे प्रवेश दिया जा सकेगा, परन्तु इसकी अंतिम तिथि 31.12.2022 होगी। अन्य बोर्ड से प्रवेश लेने वाले छात्रों को ग्राह्यता की कार्यवाही पूर्ण करना अनिवार्य होगा तथा पूर्व विद्यालय से उपस्थिति की गणना प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

(2) अतिरिक्त प्रवेश–

कक्षा 9वीं एवं 11वीं में विद्यालय की अधोसंरचना एवं स्टाफ की उपलब्धता के आधार पर संख्या निर्धारित करते हुये नवीन प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्रवेश हेतु निम्न सावधानी रखें :–

(i) कक्षा 10वीं एवं 12वीं में स्थानांतरण प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों में 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है। **उदाहरणार्थ–** किसी संस्था में कक्षा 9वीं में उत्तीर्ण 30 छात्र, कक्षा 10वीं में अनुत्तीर्ण 15 छात्र तथा श्रेणी सुधार के 5 छात्र हैं। इस प्रकार कुल 50 छात्रों का 10 प्रतिशत 05 होता है अर्थात अधिकतम 05 छात्रों को ही प्राचार्य द्वारा बिना मण्डल की अनुमति के अतिरिक्त प्रवेश दिया जा सकता है। ऐसी संस्थायें जहाँ कक्षा 10वीं एवं 12वीं में छात्र संख्या 45 से कम हैं तो ऐसी परिस्थिति में कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 45 छात्र संख्या तक प्रवेश हेतु उपरोक्त नियम 10% वृद्धि में शिथिलता रहेगी।

(ii) यदि संस्था के प्राचार्य 10 प्रतिशत से अधिक अतिरिक्त प्रवेश देना चाहते हैं तो आवश्यकतानुसार भवन विस्तार, शिक्षक, स्टाफ, फर्नीचर आदि की पर्याप्त व्यवस्था कर के स्कूल भवन का नक्शा एवं फोटो संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से अभिप्रमाणित कराकर निर्धारित प्रपत्र में मण्डल कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करें तथा मण्डल कार्यालय द्वारा अनुमति दिये जाने पर ही अतिरिक्त प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि असाधारण रूप से अधिक प्रवेश की अनुमति मांगी जाती है तो यह मण्डल द्वारा जाँच के उपरांत निर्णय लिया जायेगा।

उपरोक्त नियम का कड़ाई से पालन किया जाय। नियम विरूद्ध प्रवेश दिये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(iii) प्रवेश नीति के विपरीत अथवा अपात्र छात्रों को प्रवेश देने पर छात्रों का प्रवेश निरस्त किया जावेगा तथा सम्बंधित शाला की मान्यता भी समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकती है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संस्था प्रमुख की होगी।

टीप– किसी भी स्थिति में छात्र/पालक को प्रवेश अनुमति हेतु मण्डल कार्यालय न भेजे। संस्था के माध्यम से ही कार्यवाही की जावे।

(3) क्रेडिट योजना के छात्रों हेतु प्रवेश प्रावधान

क्रेडिट योजना के अंतर्गत प्रथम बार सम्मिलित छात्र उत्तीर्ण होने पर अगली कक्षा में नियमानुसार नियमित प्रवेश ले सकेगा तथा प्रथम बार अनुत्तीर्ण होने पर उसी कक्षा में नियमानुसार नियमित प्रवेश ले सकेगा।

(4) अन्य राज्यों के बोर्ड/अन्य बोर्ड के छात्रों हेतु प्रवेश प्रावधान–

अन्य राज्यों के बोर्ड/अन्य बोर्ड जिन्हें मण्डल विनियम के अनुसार हाईस्कूल हेतु समकक्षता प्रदान की गयी है, उन बोर्ड के हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा में प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्रों को मण्डल की हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी कक्षा में प्रवेश की पात्रता होगी, लेकिन उन्हें **ग्राह्यता** संबंधी समस्त प्रक्रिया की ऑनलाईन कार्यवाही अनिवार्यतः पूर्ण करनी होगी। जिसका तिथिवार विवरण निम्नानुसार है :–

स0क्र0	प्रक्रिया का नाम	अंतिम तिथि
1.	ग्राह्यता संबंधी ऑनलाईन प्रक्रिया की सम्पूर्ण कार्यवाही	**31.08.2022**
2.	निर्धारित प्रपत्र मुख्यालय/संभागीय कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	**10.09.2022**
3.	मण्डल द्वारा नामांकन संबंधी प्रक्रिया	**20.09.2022**
4.	परीक्षा आवेदन पत्र संबंधी प्रक्रिया	**30.09.2022**

ग्राह्यता प्रक्रिया –

- केन्द्रीय बोर्ड – सी0 बी0 एस0 ई0/ आई0 सी0 एस0 ई0 या अन्य राज्यों के मण्डल से समकक्षता प्राप्त बोर्ड के छात्रों को प्रवेश हेतु नियमानुसार ग्राह्यता की कार्यवाही पूर्ण करना आवश्यक है। ऐसे सभी छात्रों से घोषणा पत्र प्राप्त कर अस्थायी प्रवेश की कार्यवाही करें एवं ग्राह्यता संबंधी समस्त प्रक्रिया, शुल्क भुगतान निर्धारित समय–सीमा में अनिवार्यतः पूर्ण करें। किसी भी स्थिति में छात्र या पालक को ग्राह्यता हेतु मण्डल में न भेजें।
- ग्राह्यता हेतु छात्र से मूल टी0 सी0, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से प्रतिहस्ताक्षरित, मूल माईग्रेशन सर्टिफिकेट एवं मूल अंकसूची के साथ–साथ प्रत्येक की अभिप्रमाणित प्रति की छायाप्रति भी प्राप्त की जाये।

(5) अधिकतम आयु सीमा–

मण्डल के स्वाध्यायी/क्रेडिट योजना से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु इसकी अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
दूरभाष : 0771 – 2437309, 2422425, फैक्स : 0771 – 2429385

प्रवेश की अन्य शर्ते

कक्षा 9वीं तथा 11वीं हेतु

कक्षा 9वीं– कक्षा 9वीं में पंजीयन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन होगी। कक्षा 8वीं उत्तीर्ण छात्रों को पात्रतानुसार दिनांक 30.07.2022 तक कक्षा 9वीं में नियमित प्रवेश दिया जावेगा। छात्रों को बीच सत्र में प्रवेश की पात्रता नियमानुसार होगी।

नामाँकन – मण्डल विनियम क्रमाँकः 128 के तहत समस्त नवीन प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों का मण्डल में नामाँकन कराया जाना अनिवार्य है, इसके अभाव में वे मण्डल की किसी भी परीक्षा में बैठने के लिये अपात्र होंगे।

सत्र 2022–23 हेतु मण्डल की समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाओं में कक्षा 9वीं में प्रविष्ट छात्रों का नामांकन किया जाना आवश्यक है। ऐसे सभी छात्र जिन्होंने सत्र 2022–23 में कक्षा 9वीं में प्रवेश लिया है, उनकी प्रवेश प्रक्रिया हेतु संस्था द्वारा मण्डल की वेबसाइट www.vidia.cgbse.nic.in में ऑनलाईन नामांकन फार्म भरना आवश्यक होगा। नामांकन प्रक्रिया दिनांक 31.08.2022 तक पूर्ण करें।

मण्डल में एक बार नामांकन होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में छात्र से दोबारा नामांकन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

शैक्षणिक सत्र 2022–23 में केवल सत्र 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 के 8वीं उत्तीर्ण तथा वर्ष 2021–22 के कक्षा 9वीं में प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही कक्षा 9वीं में प्रवेश की पात्रता होगी।

कक्षा 11वीं– कक्षा 11वीं में भी प्रवेश की अंतिम तिथि 30.07.2022 रहेगी। कक्षा 10वीं जो छात्र उत्तीर्ण होगे वे ही 11वीं कक्षा में नियमित माने जावेगे और जो छात्र अनुत्तीर्ण होगे वे कक्षा 10वीं में ही अध्ययनरत् रहेगे। कक्षा 11वीं प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्रों को भी नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
दूरभाष : 0771 – 2437309, 2422425, फैक्स : 0771 – 2429385

शैक्षणिक सत्र 2022–23 में केवल सत्र 2020–21 एवं वर्ष 2021–22 के इस बोर्ड अथवा मण्डल की समकक्षता/मान्यता प्राप्त अन्य बोर्ड से हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण (कक्षा 10वीं) तथा वर्ष 2021–22 के कक्षा 11वीं में प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को ही कक्षा 11वीं में प्रवेश की पात्रता होगी।

कक्षा 10वीं तथा 12वीं हेतु

कक्षा 10वीं एवं 12वीं में नियमित रूप से निम्नलिखित परीक्षार्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा:–

(i) ऐसे परीक्षार्थी जिन्होने कक्षा 9वीं एवं 11वीं की परीक्षा वर्ष 2022 में उत्तीर्ण की है वे अगली कक्षा में प्रवेश हेतु पात्र होगें।

(ii) कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा 2022 में नियमित रूप से सम्मिलित हुये ऐसे परीक्षार्थी जो प्रथम बार उक्त परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हों उन्हें उसी कक्षा में पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा।

(iii) सत्र 2020–21 की कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं एवं कक्षा 11वीं की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए ऐसे परीक्षार्थी जो किसी कारणवश शैक्षणिक सत्र 2021–22 में हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके हों अर्थात उनका एक वर्ष का अन्तराल **(GAP)** आया हो, ऐसे परीक्षार्थी एक वर्ष अंतराल **(GAP)** का शपथ–पत्र प्रस्तुत कर सत्र 2022–23 में अगली कक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होगें।

(iv) मण्डल की कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा वर्ष 2021 या 2022 में सम्मिलित ऐसे परीक्षार्थी जो उत्तीर्ण तो हो गये हैं, किन्तु श्रेणी सुधार की परीक्षा देना चाहते हैं, तो ऐसे छात्रों को नियमित प्रवेश दिया जा सकेगा किन्तु जो छात्र वर्ष 2021 या 2022 के पूर्व के वर्षो में 10वीं या 12वीं परीक्षा में उत्तीर्ण हुए है वे श्रेणी सुधार परीक्षा हेतु पात्र नहीं होगे। इस योजना में केवल एक अवसर ही मिलेगा। **श्रेणी सुधार में विषय/संकाय परिवर्तन मान्य नहीं** है तथा 2021 के परीक्षार्थियों को एक वर्ष अंतराल **(GAP)** का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(V) अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण कोई छात्र यदि आपकी संस्था में कक्षा 12वीं में प्रवेश लेता है तो छात्र की 10वीं बोर्ड की अंकसूची का सत्यापन संबंधित बोर्ड से कराया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में गलत पाये जाने पर सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित संस्था के प्राचार्य की होगी।

नोट :– दो वर्ष या उससे अधिक एक ही कक्षा में लगातार अनुत्तीर्ण होने पर तथा एक वर्ष से अधिक का अंतराल **(GAP)** होने पर विद्यार्थी केवल स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
दूरभाष : 0771 – 2437309, 2422425, फैक्स : 0771 – 2429385

विषय/संकाय परिवर्तन

किसी भी संकाय से कक्षा 11वीं उत्तीर्ण तथा कक्षा 12वीं प्रथम बार अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को कक्षा 12वीं में प्रवेश हेतु विषय परिवर्तन/संकाय परिवर्तन की पात्रता निम्नानुसार होगी :-

I. विज्ञान संकाय का छात्र विषय परिवर्तन (जीवविज्ञान अथवा गणित)/किसी भी संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है।

II. वाणिज्य संकाय का छात्र वाणिज्य संकाय में ही विषय परिवर्तन कर सकता है अथवा विज्ञान संकाय को छोड़कर किसी भी संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है।

III. कला संकाय का छात्र कला संकाय में ही विषय परिवर्तन कर सकता है, इसके अतिरिक्त कृषि संकाय, गृहविज्ञान संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है।

IV. कृषि संकाय का छात्र कला संकाय, गृहविज्ञान संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है।

V. गृहविज्ञान संकाय का छात्र कला संकाय, कृषि संकाय में संकाय परिवर्तन कर सकता है।

टीप :- (i) श्रेणी सुधार के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार से विषय/संकाय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

(ii) विषय परिवर्तन/संकाय परिवर्तन हेतु नियमानुसार निर्धारित शुल्क देय होगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
दूरभाष : 0771 – 2437309, 2422425, फैक्स : 0771 – 2429385

हायर सेकण्डरी स्कूल एवं आई0टी0आई0 में संयुक्त रूप से रोजगारोन्मुखी कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की महत्वाकांक्षी योजना

उक्त योजना के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त चयनित शालाओं में हायर सेकण्डरी के अध्ययन के साथ–साथ रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के तहत आई0टी0आई0 के चयनित ट्रेड में भी संयुक्त अध्ययन का प्रावधान है। इस योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार है :–

1. उक्त महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं (हाय़र सेकण्डरी) में अध्ययरत छात्र कक्षा 11वीं तथा कक्षा 12वीं के साथ–साथ I.T.I. के 01 ट्रेड में संयुक्त रूप से अध्ययन कर सकते है।

2. छात्र हायर सेकण्डरी (कक्षा 11वीं एवं 12वीं) अध्ययन मण्डल की मान्यता प्राप्त शाला से तथा चयनित 01 ट्रेड का अध्ययन व प्रशिक्षण आई0टी0आई0 से प्राप्त करेगा।

3. जो छात्र उक्त योजना के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त करेंगे उन्हें कक्षा 11वीं एवं 12वीं में 02 भाषा में से किसी 01 भाषा में छूट प्रदान की जायेगी। किन्तु आई0टी0आई0 के **ट्रेड हिन्दी स्टेनोग्राफी** के लिये **हिन्दी भाषा अनिवार्य एवं** आई0टी0आई0 के **ट्रेड अंग्रेजी स्टेनोग्राफी** के लिये **अंग्रेजी भाषा अनिवार्य होगी।**

4. छात्र कक्षा 11वीं एवं 12वीं में विज्ञान/वाणिज्य/कला संकाय में प्रवेश लेकर 03 विषय में तथा 01 विषय भाषा अर्थात् कुल 04 विषय लेकर मण्डल की मान्यता प्राप्त शाला में प्रवेश ले सकेगा।

5. छात्र की कक्षा 12वीं की अंकसूची में 04 विषय के प्राप्तांक तथा चयनित 01 ट्रेड के प्राप्तांक का औसत अंक अंकसूची में शामिल किया जावेगा।

6. कक्षा 12वीं की परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जावेगी तथा चयनित आई0टी0आई0 ट्रेड की परीक्षा SCVT द्वारा आयोजित की जावेगी। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर छात्र को मण्डल द्वारा कक्षा 12वीं की अंकसूची एवं प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

दूरभाष : 0771 – 2437309, 2422425, फैक्स : 0771 – 2429385

इसी तरह आई0टी0आई0 के ट्रेड से उत्तीर्ण होने पर SCVT द्वारा प्रमाण पत्र दिया जावेगा। यदि छात्र उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो 12वीं उत्तीर्ण के आधार पर उच्च शिक्षा में अध्ययन हेतु प्रवेश ले सकता है अथवा SCVT के प्रमाण पत्र के आधार पर रोजगार प्राप्त कर सकता है।

8. जिन शालाओं में उक्त योजना लागू है उनकी सूची मण्डल की वेबसाईट www.cgbse.nic.in पर उपलब्ध है।

———00———

2/5/22

(प्रोफेसर व्ही0 के0 गोयल)
सचिव
छ0 ग0 माध्यमिक मण्डल
रायपुर

पृष्ठांकन क्रमांक/ 4007 / वि0यो0 **/2022–23** **रायपुर दिनांक** 02/05/2022

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, छ0ग0 शासन मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
2. विशेष सहायक, मंत्रीजी, छ0ग0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर,
3. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
6. समस्त संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, स्कूल शिक्षा विभाग (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर)
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़,
8. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी/सहायक सचिव/सहायक प्राध्यपक, छ0 ग0 मा0 शि0 मं0, रायपुर
9. समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय संस्थाएँ मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त, छत्तीसगढ़,
10. समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, छ0ग0मा0शि0मं0 (रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर)
11. प्रोग्रामर, छ0ग0मा0शि0मं0, रायपुर को मण्डल की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रेषित।
12. आदेश फोल्डर।

2/5/22

सचिव
छ0 ग0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

परिशिष्ट 'अ'

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़

(प्रथम तल, सी खण्ड, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर)
(दूरभाष क्रमांक 0771-2331385 फैक्स क्रमांक 0771-2445215, ई-मेल- cg.dpi.dir@gmail.com)

क्रमांक/स्वा.आ.अं.मा./2022-23/502 नवा रायपुर दिनांक 31 /03/2022

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

छत्तीसगढ़।

विषयः- स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम विद्यालयों के एडमिशन के संबंध में।

---000---

प्रदेश में 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित किये जा रहे है तथा सत्र 2022-23 से 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय संचालित किया जाना है। उक्त दोनो स्कूलों में शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए कक्षाओं में छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाना है। जिस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे :-

1. प्रवेश हेतु आवेदन की तिथि	-	05 अप्रैल से 30 अप्रैल तक
2. अधिक आवेदन की स्थिति में लाटरी के माध्यम से सीट आबंटन	-	01 मई से 05 मई
3. एडमिशन की अन्य आवश्यक कार्यवाही	-	**06 मई से 10 मई**

A. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में एडमिशन हेतु निम्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे :-

1. इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा।
2. एक विद्यार्थी एक विद्यालय हेतु ही आवेदन कर सकेगा।
3. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राज्य मे पूर्व से चल रहे 152 प्राथमिक तथा 153 पूर्व माध्यमिक शालाओं के छात्र-छात्राओं को कक्षा 6 वीं एवं कक्षा 9वीं में प्राथमिकता से एडमिशन दिया जाये।
4. मान. मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार "महतारी दुलार योजना" अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा। एडमिशन हेतु आवेदन पत्र के साथ पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
5. प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीट का 50 प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जायेगा। बालिकाओं की पर्याप्त संख्या नही मिलने पर बालकों से सीट भरी जा सकेगी।
6. बी.पी.एल. एवं आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल रिक्त सीट के 25 प्रतिशत सीटों के विरूध्द प्रवेश दिया जाएगा। पालकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत सीटों पर आवेदक बच्चों का प्रवेश लॉटरी सिस्टम से होगा अर्थात कम्प्यूटर के माध्यम से रैंडमली चयन किया जायेगा।

d:\sages हिंदी माध्यम स्कूल\latter.docx

8. रिक्त सीट के विरूध्द अधिक पात्र आवेदक होने पर लॉटरी से चयन किया जायेगा।
9. कक्षा पहली में प्रवेश हेतु विद्यार्थी की आयु 31 मई 2022 की स्थिति में 5 वर्ष 6 माह से 6 वर्ष 6 माह के मध्य होनी चाहिये।

B. स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी माध्यम विद्यालय में एडमिशन हेतु निम्न निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे :–

1. इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु आवेदन ऑनलाईन तथा ऑफलाईन दोनों माध्यमों से किया जा सकेगा।
2. उसी विद्यालय में पूर्व से अध्ययनरत छात्रों को अगली कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।
3. एक विद्यार्थी एक विद्यालय हेतु ही आवेदन कर सकेगा।
4. मान. मुख्यमंत्री जी के घोषणा अनुसार "महतारी दुलार योजना" अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश दिया जायेगा। एडमिशन हेतु आवेदन पत्र के साथ पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
5. कन्या विद्यालयों को छोड़ कर शेष विद्यालयों में सह शिक्षा होगी तथा इनकी प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीट का 50 प्रतिशत छात्राओं का चयन किया जायेगा। बालिकाओं की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने पर बालकों से सीट भरी जा सकेगी।
6. बी.पी.एल. एवं आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल रिक्त सीट के 25 प्रतिशत सीटों के विरूध्द प्रवेश दिया जाएगा। पालकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 25 प्रतिशत से अधिक प्रवेश हेतु आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी सिटस्टम से होगा अर्थात कम्प्यूटर के माध्यम से रेंडमली चयन किया जायेगा।
7. स्कूल की क्षमता अनुसार प्रवेश देने का अधिकार कलेक्टर की अध्यक्षता वाले सोसायटी को होगा।
8. कुल रिक्त पदों के 25 प्रतिशत सीटों पर आवेदक बच्चों का प्रवेश लॉटरी सिस्टम से होगा अर्थात कम्प्यूटर के माध्यम से रेंडमली चयन किया जायेगा।
9. इन विद्यालयों में कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्रवेश सोसायटी के निर्णय अनुसार लिये जायेंगे।

31.03
संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृ.क्रमांक / स्वा.आ.अं.मा. / 2022–23 / 503
नवा रायपुर दिनांक 31 / 03 / 2022

प्रतिलिपिः–

1. समस्त कलेक्टर एवं अध्यक्ष, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय समिति छत्तीसगढ़।
2. सीनियर टेक्निकल डायरेक्टर, एन.आई.सी. मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर को सूचनार्थ एवं समय–सीमा में पोर्टल खोलने हेतु प्रेषित।
3. समस्त संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं समय–सीमा में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

31.03
संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़